



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272401
CG-DL-E-09052026-272401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 312]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 346(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ढ), खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का नाम विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) संशोधन नियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 5 की उप-नियम (4) में "संयुक्त सचिव" शब्दों के स्थान पर, "संयुक्त सचिव के स्तर के समतुल्य या उससे ऊपर के अधिकारी" शब्दों को रखा जाएगा।
- मूल नियमों में "प्रथम अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“प्रथम अनुसूची

[नियम 3 का उप-नियम (1) देखें]

सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित बाट और माप

(i) निम्नलिखित बाट और माप सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित किए जाएँगे:

1. जल मीटर
2. स्फिग्मोमैनोमीटर
3. क्लिनिकल थर्मामीटर
4. स्वचालित रेल वेब्रिज
5. टेप मापक यंत्र
6. सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर-स्वचालित तौल यंत्र
7. सटीकता वर्ग IIII के गैर-स्वचालित तौल यंत्र
8. लोड सेल
9. बीम स्केल
10. काउंटर मशीन
11. सभी श्रेणियों के बाट
12. गैस मीटर
13. ऊर्जा मीटर
14. नमी मीटर
15. वाहनों के लिए गति मीटर
16. श्वास विश्लेषक
17. बहुआयामी मापक यंत्र
18. प्रवाह मीटर
19. पेट्रोल/ डीजल डिस्पेंसर
20. सीएनजी डिस्पेंसर
21. एलपीजी डिस्पेंसर
22. एलएनजी डिस्पेंसर
23. हाइड्रोजन डिस्पेंसर।

(ii) राज्य सरकार द्वारा विहित कोई अन्य बाट या माप।”।

3. मूल नियमों में, पाँचवीं अनुसूची में क्रम सं.18 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

क्रम सं.	मद	सत्यापन शुल्क (रु./रु में)
"19.	पेट्रोल/ डीजल डिस्पेंसर	रु. 5,000.00 प्रत्येक नोजल
20.	सीएनजी डिस्पेंसर	रु. 10,000.00 प्रत्येक नोजल
21.	एलपीजी डिस्पेंसर	रु. 10,000.00 प्रत्येक नोजल
22.	एलएनजी डिस्पेंसर	रु. 10,000.00 प्रत्येक नोजल
23.	हाइड्रोजन डिस्पेंसर	रु. 10,000.00 प्रत्येक नोजल"।

[फा. सं. I-30/1/2025-डब्ल्यूएंडएम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 593(अ) दिनांक 5 सितंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 779 (अ) दिनांक 23 अक्टूबर, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 346(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, namely:-

1. (1) Short title and commencement.- These rules may be called the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 (hereinafter referred to the principal rules), in sub-rule (4) of rule 5 for the words "The Joint Secretary," the words "An officer equivalent to or above the level of Joint Secretary" shall be substituted.

3. In the principal rules, for First Schedule the following Schedule shall be substituted, namely:-

"First Schedule

[See sub-rule (1) of rule 3]

Weights and measures verified by Government Approved Test Centre

(i) The following weights and measures shall be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical thermometer

4. Automatic rail weighbridges
5. Tape measures
6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)
7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII
8. Load cell
9. Beam scale
10. Counter machine
11. Weights of all category
12. Gas meters
13. Energy meters
14. Moisture meters
15. Speed meters for vehicles
16. Breath analyzers
17. Multi-dimensional measuring instruments
18. Flow meters
19. Petrol/ diesel dispenser
20. CNG dispenser
21. LPG dispenser
22. LNG dispenser
23. Hydrogen dispenser.

(ii) Any other weight or measure prescribed by the State Government.”.

3. In the principal rules, in Fifth Schedule, after Sl. No. 18, the following Sl. Nos and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Item	Verification fees (in Rs./ ₹)
“19.	Petrol/ diesel dispenser	Rs. 5,000.00 each nozzle
20.	CNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
21.	LPG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
22.	LNG dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle
23.	Hydrogen dispenser	Rs. 10,000.00 each nozzle”.

[F. No. I-30/1/2025-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 593 (E), dated the 5th September, 2013 and was last amended *vide* number G.S.R. 779 (E), dated 23rd October, 2025.